शैक्षिक नीतियों तथा प्रगति का पुनर्रीक्षण समय–समय पर निर्धारित राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों तथा प्राथमिकताओं के संदर्भ में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के प्रस्ताव में गुणवत्ता सुधार तथा शैक्षिक सुविधाओं के सुनियोजित अधिक न्यायपरक प्रसार पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त प्रस्ताव में लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का प्रतिपादन किया गया। तत्पश्चात् 1992 में इसे संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत शताब्दी के अंत तक प्राप्त की जा सकने वाली एक व्यापक नीति रूपरेखा का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त 1992 में एक प्लान ऑफ एक्शन (क्रिया योजना) का भी प्रतिपादन किया जिसमें इसके प्रस्तावों को संगठित करना, कार्यान्वित करना तथा वित्त व्यवस्था करने जैसे विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए। समय–समय पर इन सभी नीतिगत निर्णयों तथा यशपाल समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात समस्त विद्यालयी संरचना को संशोधित किया गया तथा सन् 2005 में एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई जो आजकल पूरे देश में लागू की गई है।

2.7 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Aggarwal, J.C., (1985), Development and Planning of Modern Education,Vani Educational Books, New Delhi.
- Aggarwal, J.C., (1993), Landmarks in the History of Modern Indian Education. Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi.
- Chaube, S.P., (1988), History and Problems of Indian Education, (Second Edition) Vinod Pustak Mandir, Agra, UP.
- Rawat, P.L., History of Indian Education Agra,UP, Ram Prasad and Sons.
- Safaya, R.N., (1983), Current Problems in Indian Education ,Delhi, 9th Edition, Dhanpat Rai & Sons.
- Saikia, Siddheswar, (1998), History of Education in India, Mani Manik Prakash
- Sharma, R.N., History and Problems of Education in India, Delhi, Surjeet Publications.
- http://www.indiatogether.org/2004/jul/edu-kothari.htm
- http://59.163.61.3:8080/gratest/showtexfile.do?page_id=user_image&user_image_id=775
- http://www.dise.in/Downloads/Use%20of%20Dise%20Data/Ajay%20Deshpande,Sayan%20Mitra.pdf
- http://www.create-rpc.org/pdf_documents/India_CAR.pdf

- http://www.archive.org/stream/annualreportofsu19541955virg/annualreportofsu19541955virg_djvu.txt

2.8 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) सन् 1985 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों अनुभव की गईं?
2) कोठारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? कोठारी आयोग की किन्हीं चार मुख्य सिफारिशों का जिक्र करें।
3) अध्यापक शिक्षा से संबंधित कुछ विशिष्ट अनुशंसाओं की व्याख्या करें।
4) भारत में प्रारम्भिक शिक्षा के मुख्य मुद्दे क्या हैं?
5) वर्तमान शिक्षा नीति के विशेष लक्षणों को व्यक्त करें तथा उनकी व्याख्या भी करें।
6) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का इसके औचित्य (संगतता) की दृष्टि से मूल्यांकन करें।
7) 8 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा की संरचना का समीक्षात्मक मूल्यांकन करें। देश भर में इसकी संरचना में एकरूपता लाने के लिए सुझाव दें।

टिप्पणी

इकाई 3 शिक्षा : एक मौलिक अधिकार

संरचना

3.0 प्रस्तावना

3.1 अधिगम उद्देश्य

3.2 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता

- 3.2.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45
- 3.2.2 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों में प्राप्ति की असफलता के पीछे कारण
- 3.2.3 भारतीय संविधान का 86वाँ संशोधन
- 3.2.4 "शिक्षा का अधिकार अधिनियम", 2009 (आर.टी.ई. एक्ट, 2009)
- 3.2.5 बच्चे के अधिकार

3.3 अध्यापक की भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्व

3.4 विद्यालय अभिशासन (Governance) तथा प्रबंधन

3.5 पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएँ

3.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की नियमावली

- 3.6.1 प्रारंभिक भाग
- 3.6.2 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार
- 3.6.3 राज्य सरकारों के कर्त्तव्य
- 3.6.4 रिकार्डों का रखरखाव
- 3.6.5 विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्त्तव्य
- 3.6.6 विद्यालय प्रबंधन समिति
- 3.6.7 अध्यापकों की अर्हताएँ (योग्यताएँ)
- 3.6.8 पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन
- 3.6.9 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा

3.7 सारांश

3.8 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.9 अन्त्य इकाई अभ्यास

3.0 प्रस्तावना

इस तथ्य से आप भली–भाँति अवगत हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत हैं यद्यपि, केरल जैसे कुछ राज्यों में साक्षरता दर 93 प्रतिशत के निकट हो चुकी है जबकि बिहार में यह दर 63.8 प्रतिशत है।

इकाई–1, इकाई–2 में आपने शिक्षा के संबंध में गठित विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा दी गई संस्तुतियों का अध्ययन किया। आपने प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यचर्या के विकास तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा – 2005 (National Curriculum Framework – NCF - 2005) के मुख्य निहितार्थों का अध्ययन भी किया। इस इकाई में हमारा बल यह स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा बच्चे के मूल अधिकार के रूप में कैसे उभरी है। इसके अतिरिक्त हम "शिक्षा का अधिकार" अधिनियम 2009 (Right to Education Act – RTE Act) के प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ ने दो महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए हैं। 1948 में इसने जो दस्तावेज़ जारी किया उसका शीर्षक था "मानव अधिकारों की घोषणा" तथा 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने "बच्चे के अधिकारों की घोषणा" नामक दस्तावेज जारी किया। यह बात सच है कि आज हम इक्कीसवीं शताब्दी में पदार्पण कर चुके हैं परंतु आज भी लाखों–करोड़ों व्यक्ति ऐसी निर्धनता का जीवन व्यतीत करने पर विवश है जिनकी आधुनिक जीवन के प्रति कोई पहुँच नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा में बहुत बड़ा विस्तार हुआ। परंतु इसके बावजूद भी कई सौ लाख बच्चे विद्यालय में प्रवेश से वंचित रहे। जो प्रवेश पा सके उनके बीच में ही विद्यालय छोड़ने की दर या अगली कक्षा में न जा सकने की दर काफी ऊँची थी। इन तथ्यों को देखते हुए भारतीय संसद ने अगस्त 2009 में "शिक्षा का अधिकार अधिनियम" पारित किया।

इस इकाई में हम उक्त अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या है।

3.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप:

- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण (Universalization of Elementary Education - UEE) के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे;
- प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण संबंधी लक्ष्यों, जिनका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया है, की अप्राप्ति के कारणों की विवेचना कर सकेंगे;
- 86वें संविधान संशोधन में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख कर सकेंगे;
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा "बच्चे के अधिकारों की घोषणा" का वर्णन कर सकेंगे;

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रावधानों और नियमावली पर चर्चा कर सकेंगे।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में अध्यापक की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों की व्याख्या कर सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में साझेदारों की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

3.2 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की अवधारणा तथा आवश्यकता

जैसा आपको विदित है कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा आती है। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य है प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा। इसमें कक्षा एक से कक्षा पाँच तक निम्न प्राथमिक तथा कक्षा छः से कक्षा आठ तक उच्च प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण से अभिप्राय है प्रारंभिक शिक्षा को देश के प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहे वे बच्चे किसी भी जाति, धर्म, मानव जाति समूह, लिंग अथवा सामाजिक–आर्थिक स्थिति से संबंधित हों।

शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास व प्रगति का आधार होती है। यह समस्त मानव समस्याओं के प्रति सर्वाधिक पैना हथियार तथा सबसे मजबूत ढाल होती है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन अर्थहीन हो जाता है। यह शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम उस ज्ञान तथा उन कौशलों को ग्रहण करते हैं जिनसे हम एक सार्थक जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत है। आप इस बात से सहमत होंगे कि किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना एक बहुत बड़ा अन्याय है; अतः हमारे जैसे एक लोकतांत्रिक तथा मत–निरपेक्ष देश में कम से कम प्राथमिक शिक्षा का सार्विकीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

3.2.1 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45

भारतीय भारत में मानव विकास के प्रत्येक पहलू पर ध्यान दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 – 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। आप इन तथ्य से भी अवगत होंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण का प्रावधान हमारी सभी पंचवर्षीय योजनाओं का एक अनिवार्य भाग रहा। सरकारी, ग़ैर–सरकारी एजेंसियाँ, स्वैच्छिक या स्वयंसेवी संस्थाएँ अब भी इस कार्य में लगी हुई हैं। तथापि सभी के लिए शिक्षा प्रावधान करना एक लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना है।

टिप्पणी

3.2.2 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की असफलता के कारण

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की अप्राप्ति के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं:

प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की अप्राप्ति के मूल कारण	जनसंख्या विस्फोट
	गरीबी
	कृषि आधारित अर्थव्यवस्था
	संप्रेषण का अभाव
	बेरोजगारी
	ड्राप आउट (विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे), अपव्यय तथा प्रगतिरोध
	जागरूकता की कमी तथा अज्ञानता
	लिंग संबंधी पक्षपात
	जीवन में स्थायित्व का अभाव
	युद्ध स्तर पर प्रयास का अभाव

चित्र 1 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की अप्राप्ति के कारण

जनसंख्या विस्फोटः शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार तथा विद्यालयों के नेटवर्क के बावजूद, देश में संख्या प्रत्येक बालक तक नहीं पहुँच पाई। विकास की दर जनसंख्या वृद्धि की दर से पीछे रही। जैसा आपको मालूम ही है जनसंख्या में तीव्रता से आई वृद्धि से जीवन के सभी आयामों में समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

गरीबीः हजारों ऐसे माता–पिता हैं जिनके लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजना आर्थिक रूप से उनके बस की बात नहीं। उनके बच्चों को जीवनयापन के लिए छोटी उम्र में ही काम पर भेजना उनकी विवशता है। वे अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं।

कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाः गरीबी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव में बहुत से माता–पिता अपने बच्चों को खेतों पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं। आपने बच्चों को अपने माता–पिता के साथ खेत पर कार्य करते हुए या मजदूर के रूप में कार्य करते हुए देखा होगा।

संप्रेषण का अभावः सुदूर पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों तथा लोगों के बीच संप्रेषण का बड़ा भारी अभाव होता है। इन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा

के लिए कोई आसान पहुँच नहीं होती। स्थानीय एजेंसियाँ तथा गैर–सरकारी संस्थाएँ भी इस स्थिति में नहीं होती कि वे ऐसे कठिन क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सकें; अतः ऐसे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते।

बेरोजगारीः बहुत से माता–पिताओं की यह धारणा है कि क्योंकि बहुत सारे शिक्षित बच्चों को रोज़गार नहीं मिल पाता है तो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने का कोई औचित्य नहीं है। तथापि, आप भली–भाँति जानते हैं कि यह धारणा अनुचित है और अध्यापक के रूप में माता–पिता की ऐसी नकारात्मक सोच को बदलने के लिए प्रयास करने चाहिए।

अभिप्रेरणा का अभावः इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार विद्यालय जाने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएँ देकर प्रोत्साहित करती है फिर भी अभिभावकों में अपने बच्चों को विद्यालय भेजने संबंधी उचित अभिप्रेरणा का अभाव होता है। ऐसी अभिप्रेरणा के अभाव के फलस्वरूप बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में पंजीयन कम हो जाता है।

ड्राप आउट (विद्यालय छोड़ने वाले बच्चे), अपव्यय तथा प्रगतिरोधः प्रायः हम देखते हैं कि यद्यपि बच्चे विद्यालय में पंजीकृत तो हो जाते हैं पर वे किसी न किसी कारण से बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। अपव्यय तथा प्रगतिरोध बच्चों की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा की पूर्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं।

जागरूकता की कमी तथा अज्ञानताः शिक्षा के मूल्य के प्रति अनभिज्ञता या अज्ञान एक अभिशाप है। हमारे समाज में बहुत से अभिभावक मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को महसूस नहीं करते और इसी अज्ञान का फल है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय में पंजीकृत नहीं कराते।

लिंग संबंधी पक्षपातः हमारे देश के बहुत से राज्यों में महिला साक्षरता की दर पुरुष साक्षरता की दर से काफी कम है। और बहुत से समाजों में लिंग भेद संबंधी पक्षपात स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम प्रायः देखते हैं कि परिवार में लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है जब कि लड़कियों की शिक्षा की अवहेलना कर दी जाती है। इससे भी अधिक लड़कियों की दैनिक घरेलू कार्यों में माँ की सहायता का उत्तरदायित्व भी लेना पड़ता है और इसके अतिरिक्त अपने से छोटे भाई–बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती है।

जीवन में स्थायित्व का अभावः कुछ जनजातियों तथा खानाबदोशों के पास आज भी घर का अभाव है और उन्हें रोजी–रोटी की तलाश में दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। कुछ मजदूरों के जीवन में भी स्थायित्व का अभाव है। बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं। ऐसी सभी अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि शिक्षा प्राप्ति उनके लिए एक दूरवर्ती स्वप्न के समान होता है।

टिप्पणी

क्रियाकलाप–1

(1) प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की अप्राप्ति के लिए कम से कम तीन और कारण बताइए।

....

....

....

2) क्या आपने साक्षरों और निरक्षरों की जीवन शैली में कोई अंतर देखे? निम्नलिखित विषयों पर आपने इनमें से किस प्रकार के अंतर देखें:

- जीवन के प्रति अभिवृत्ति
- सामाजिक परिपक्वता
- ज्ञान स्तर
- आर्थिक स्थिति
- बच्चों की शैक्षिक स्थिति
- परिवार का आकार
- जीवन स्तर

....

....

....

3.2.3 भारतीय संविधान का 86वाँ संशोधन

वर्ष 2002 में भारतीय संसद ने संविधान में 86वाँ संशोधन पारित किया जिसका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

संविधान संशोधन (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारंभः** (1) इस अधिनियम को संविधान (86वाँ संशोधन) अधिनियम, 2002 पुकारा जाए। यह उस तारीख से लागू होगा जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार अपने सरकारी गजट के द्वारा जारी करेगी।

2. **नए अनुच्छेद 21(ए) का सन्निवेशः** संविधान के अनुच्छेद 21 के पीछे निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किया जाएगा: शिक्षा का अधिकार : 21(ए) राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष

तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जिसे राज्य कानून के द्वारा निर्धारित करेगा।

3. **अनुच्छेद 45 का नए अनुच्छेद द्वारा प्रतिस्थापनः** संविधान के अनुच्छेद 45 को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा: 6 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों के लिए "पूर्व बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा" का प्रावधान इसका उत्तरदायित्व राज्य का होगा जब तक कि बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाते।

4. **अनुच्छेद 51(ए) का संशोधनः** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(ए) में धारा (जे) के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ दी जाएगी:

संविधान के 86वें संशोधन को, जिसे 2002 में अनुमोदित किया गया और जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अधिसूचित किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त "निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार" अधिनियम जिसे भारतीय संसद ने 2009 में पारित किया, की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है ताकि 86वें संशोधन को लागू किया जा सके।

वर्ष 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21ए को जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का भाग बन गया। जिसके अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन की सुरक्षा तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 21ए में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित करता है।

अनुच्छेद 51ए में नागरिकों के लिए 10 मूल कर्त्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से 11वाँ मूल कर्त्तव्य जोड़ दिया गया है, जिसके अनुसार सभी माता–पिताओं या अभिभावकों का यह कर्त्तव्य है कि वे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अतः अपने बच्चों/आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना अब प्रत्येक नागरिक का मूल कर्त्तव्य बन गया है।

क्रियाकलाप–2

1) आपके विचार में भारतीय संविधान का 86वाँ संशोधन विद्यालय प्रणाली पर क्या प्रभाव डालेगा?

....

....

....

3.2.4 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आर.टी.ई. एक्ट, 2009)

26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के संबंध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे "शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009" कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की अप्राप्ति के दृष्टिगोचर भारत सरकार की ओर से यह सर्वाधिक प्रतीक्षित पग था। परंतु संभवतः आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में छत्रपति शाहुजी महाराज ने सन् 1902 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिनियम पहले ही तैयार कर दिया था तथा लागू भी कर दिया गया था। सन् 1918 में वल्लभ भाई पटेल ने सार्विकीकरण शिक्षा को, एक अधिनियम पारित करवाकर, बॉम्बे के सभी नगर परिषदों में निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया था। महात्मा गाँधी की शिक्षा की बुनियादी (बेसिक) प्रणाली ने भी जिसे वार्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गाँधी के तर्क के अनुसार जिस प्रकार निःशुल्क वायु तथा जल पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उसी प्रकार प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए; और बच्चे के कल्याण का ध्यान रखना समाज और सरकार दोनों का कर्त्तव्य है।

हमारा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन् 1959 में घोषित बच्चे के अधिकारों का समर्थक रहा है। अतः भारत ने सन् 1974 में बच्चों पर एक राष्ट्रीय नीति अपनाई। यूनिसेफ रिपोर्ट (2005), जिसका शीर्षक था "आशंकित बचपन" (Childhood Under Threat), के अनुसार 5 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य 7.2 करोड़ बच्चे बुनियादी शिक्षा की पहुँच से बाहर है। अतः बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के प्रति वचनबद्धता के प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। प्रत्येक बच्चे को अपने अस्तित्व, विकास तथा भागीदारी का अधिकार है। एक जिम्मेदार नागरिक तथा अध्यापक के रूप में हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

अब आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के निम्नलिखित प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन करेंगे:

- बच्चे के अधिकार
- अध्यापक की भूमिका तथा इसके कर्त्तव्य
- विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन
- पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन आदेशक

3.2.5 बच्चे के अधिकार

बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकार निम्नलिखित है:

टिप्पणी

बच्चे के अधिकार	जीवित रहने का अधिकार
	स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार
	राष्ट्रीयता के नाम का अधिकार
	पोषण का अधिकार
	शिक्षा का अधिकार
	शोषण से सुरक्षा का अधिकार
	अभिव्यक्ति का अधिकार
	उपेक्षा से बचाव का अधिकार
	माता–पिता के साथ रहने का अधिकार
	सूचना का अधिकार

चित्र 2: *बच्चे के अधिकार*

- 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक उसके निकट के प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।
- प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने तक किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- किसी भी कारण से यदि कोई बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से अधिक है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं पाया, और बाद में वह कक्षा में प्रवेश चाहता है तो उसकी आयु के अनुसार की कक्षा में वह प्रवेश पाने का अधिकारी होगा।
- यदि उस विद्यालय में जहाँ किसी बच्चे ने प्रवेश पाया है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो उसे किसी अन्य नजदीक के विद्यालय में जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध है, प्रवेश पाने का अधिकार होगा। हमें ऐसे बच्चे की हर संभव सहायता करनी चाहिए।
- यदि किसी बच्चे को, राज्य के अंदर या बाहर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण का अधिकार होगा। एक अध्यापक के रूप में हमें ऐसे बच्चे की हर संभव सहायता करनी चाहिए।
- संबंधित विद्यालय के मुख्याध्यापक या प्रभारी से यह अपेक्षा होगी कि वह बच्चे को स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करे। यदि कोई प्रभारी इस मामले में विलम्ब करता है तो सेवा नियमों के अधीन उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।

टिप्पणी

- आयु प्रमाणपत्र के अभाव में किसी बच्चे को किसी विद्यालय में प्रवेश मना नहीं किया जा सकता। यदि संभव हो तो हमें बच्चे की आयु प्रमाणपत्र पाने में सहायता करनी चाहिए। इससे बच्चे को भविष्य में भी सुविधा मिलेगी।
- प्रवेश की अंतिम तिथि के समाप्त होने पर भी किसी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता और एक अध्यापक के रूप में यह हमारा कर्त्तव्य है कि आवश्यकता अनुसार हम बच्चे की पढ़ाई पूर्ण कराएँ।
- हम किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते।

क्रियाकलाप 3

1) बच्चे के उपर्युक्त अधिकारों का अध्ययन करें और बताएँ कि आपके क्षेत्र/विद्यालय/कक्षा में इनका अनुपालन किस सीमा तक हो रहा है।

....

....

....

2) बच्चे के अधिकारों के उल्लंघन के पीछे क्या कारण हो सकते हैं?

....

....

....

3) बच्चे के उन अधिकारों की सूची बनाएँ जिनका उल्लंघन आप के क्षेत्र में हो रहा है।

....

....

....

4) उन स्थानों (होटलों, दुकानों, खेतों, बाजार इत्यादि) का दौरा करें जहाँ बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन बच्चों से बातचीत करें तथा अपनी टिप्पणी लिखें।

....

....

....

5) लोगों में बच्चे के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें।

....

....

....

6) एक नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करें जिसका शीर्षक बच्चों के अधिकार हो; और अपने विद्यार्थियों की सहायता से इसका अभिनय करें।

....

....

....

3.3 अध्यापक की भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्व

जैसा कि आपको विदित है कि विद्यालय के निर्विघ्न संचालन में अध्यापक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे अध्यापक होंगे वैसा ही विद्यालय होगा – यह एक अनुभूत सत्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत अध्यापक की भूमिका निम्नलिखित हैं:

- विद्यालय आने में नियमित और समयबद्ध होना;
- निर्धारित समय में समस्त पाठ्यचर्या को पूरा करना;
- प्रत्येक बच्चे की अधिगम योग्यताओं का आकलन करना तथा प्रत्येक बच्चे को अधिगम अवसर प्रदान करना;
- बच्चों के अभिभावकों/माता–पिताओं से नियमित रूप से बैठक करना और उन्हें बच्चे के समग्र निष्पादन/कार्य तथा प्रगति से अवगत कराना;
- उन सभी प्रकार से सहायता करना जिससे बच्चा भय से, मानसिक आघात/सदमा से तथा दुश्चिंता से मुक्त रह सके तथा प्रयास करना ताकि बच्चा अपनी मानसिक तथा शारीरिक योग्यताओं का विकास कर सकें।
- बच्चे का व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन करना
- यदि आप अपने कर्त्तव्यों से चूक करेंगे तो आप पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।
- पाठ्यचर्या संपादन के लिए नवाचारी विधियों जैसे खेल विधि, निर्देशन, भ्रमण, तथा रचनात्मक विधियों का प्रयोग उपयोगी होगा। कोई भी विधि जो अपनाई जाए वह बाल केन्द्रित होनी चाहिए।

टिप्पणी

- मात्र निर्धारित कर्त्तव्यों को पूरा करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको और अधिक निष्ठा, शक्ति, लगन से एक सक्रियकर्त्ता के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है।

अध्यापक के कर्त्तव्य	नियमितता तथा समयबद्धता
	बच्चों की पहचान करना तथा उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में पंजीकृत करना
	बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं की पहचान करना
	बच्चों की सृजनात्मकता की पहचान करना और उनका पोषण करना
	अभिभावकों को अभिप्रेरित करना ताकि वे बच्चों का पंजीयन कराएँ
	बच्चों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित करना
	निर्धारित समय में पाठ्यचर्या को पूर्ण करना
	विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों पर विशेष ध्यान देना
	बच्चों को सभी सुविधाएँ प्रदान कराना
	बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना
	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पालन में अधिकारियों से समन्वय करना
	विद्यालय के अभिशासन तथा प्रबंधन में भागीदार बनना
	एक मेंटर के रूप में कार्य करते हुए संसाधनों का सही उपयोग करना
	सामाजिक परिवर्तन के कर्त्ता के रूप में कार्य करना

चित्र 3: *एक अध्यापक के कर्त्तव्य*

क्रियाकलाप 4

1) आपके विचार में अध्यापक के किन कर्त्तव्यों का पालन करना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है?

....

....

....

टिप्पणी

3.4 विद्यालय अभिशासन तथा प्रबंधन

आप को यह सदैव याद रखना चाहिए कि विद्यालय का अभिशासन तथा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि आप विद्यालय का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाते तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएँगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में विद्यालय के उपयुक्त प्रबंधन तथा अभिशासन संबंधी बहुत से प्रावधान हैं। इस अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि किसी भी ऐसे विद्यालय को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसमें प्रभावी रूप से शिक्षा प्रदान करने संबंधी मानक या मानदंड पूरे नहीं होते। इसका अर्थ है कि विद्यालय में अनिवार्य ढाँचागत तथा शैक्षिक सुविधाएँ होनी चाहिए।

माँ को बच्चे का प्रथम शिक्षक कहा जाता है; और यह जानकर आप प्रसन्न होंगे कि विद्यालय की प्रबंधन समिति में 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी और प्रबंधन समिति के अधिकांश पदाधिकारी तथा सदस्य माता–पिताओं के वर्ग से चुने जाएँगे। प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्य संपादित करेंगी:

- विद्यालय के कार्य संचालन को मॉनीटर करना
- विद्यालय विकास योजना को तैयार करना तथा उसे अनुशंसित करना
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशि को मॉनीटर करना
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मिशनरी की तरह कार्य करना

आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यालय के अभिशासन में सहायता करें। यह सुनिश्चित करना कि सभी पात्र बच्चे विद्यालय में पंजीकृत हैं तथा वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ति तक विद्यालय नहीं छोड़ते, अध्यापकों और प्रबंधन समिति का संयुक्त दायित्व है। यद्यपि अनियमितता तथा ड्रॉपआउट एक चुनौती है परंतु आप बच्चों को तथा उनके माता–पिताओं को अभिप्रेरित करके इस पर काबू पा सकते हैं।

3.5 पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन संबंधी अनिवार्यताएँ

इस स्तर की पाठ्यचर्या से बच्चों में न्यूनतम मूल कौशलों तथा अभिवृत्तियों के विकास की अपेक्षा होती है। पाठ्यचर्या बाल केन्द्रित तथा बच्चे के दैनिक जीवन से जुड़ी होगी। यह इतनी लचीली होनी चाहिए कि विभिन्न योग्यताओं और अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक स्थिति से संबंधित बच्चों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समायोजित कर सकें। यह पाठ्यचर्या समावेशी हो ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इस पाठ्यचर्या का निर्माण शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। यह इतनी सक्षम हो कि बच्चों में ज्ञान, क्षमता तथा प्रतिभा

टिप्पणी

का विकास कर सके। आप इस विचार से सहमत होंगे कि पाठ्यचर्या क्रियाकलाप द्वारा अधिगम का विकास होना चाहिए, इसमें खेलकूद क्रीड़ा आदि के लिए तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के लिए पर्याप्त अवसर हो।

जब तक बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण नहीं करता उसकी कोई बाह्य परीक्षा नहीं ली जाएगी; प्रत्येक बच्चे को अगली कक्षा में चढ़ा दिया जाएगा; परंतु इसका यह अभिप्रायः बिल्कुल में नहीं है कि मूल्यांकन की उपेक्षा कर दी जाएगी। शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति आपको बहुत ध्यान देना होगा। यद्यपि इसमें कोई उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण प्रणाली नहीं है तथापि शिक्षा के स्तर को कायम रखना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे का समग्र विकास करना है, अतः बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा को बढ़ाना हमारा दायित्व है। हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे में स्वीकारात्मक अभिवृत्तियों तथा जीवन के सकारात्मक मूल्यों का विकास हो। हमें उसमें विभिन्न कौशलों को प्रोत्साहित करना, क्रियाकलाप द्वारा अधिगम तथा अन्वेषण की भावना का विकास करना चाहिए।

क्रियाकलाप 5

1) अपने क्षेत्र के किसी प्रारंभिक विद्यालय का दौरा करें, वहाँ कार्यरत व्यक्तियों से बातचीत करें तथा उन कार्मिकों की कार्यशैली के बारे में अपनी टिप्पणी लिखें।

....

....

....

2) बताइए कि प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस सीमा तक प्रयास हो रहे हैं।

....

....

....

3) क्या आप विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी मूल्यांकन पद्धति से संतुष्ट हैं? अपनी टिप्पणी लिखें।

....

....

....

4) क्या आप के विचार में व्यापक तथा सतत मूल्यांकन की योजना बच्चों की प्रगति का सही मूल्यांकन करने में सहायक हैं? अपनी टिप्पणी लिखें।

....

....

....

3.6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की नियमावली

इससे पूर्व हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का अध्ययन किया है। इस अधिनियम के उचित रूप में कार्यान्वयन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार 2009 की संज्ञा दी गई है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इन नियमों में कुछ अंतर हो सकता है। यहाँ पर हम बच्चे की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। इन नियमों को 8 भागों में विभाजित किया गया है।

शिक्षा के प्राथमिक पर ये मानक नियम इस अधिनियम को कार्यान्वित करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। ये नियम एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत करते हैं जिन्हें विभिन्न राज्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर अपने–अपने नियम बनाते समय प्रयोग में ला सकते हैं। विभिन्न राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बनाए गए शिक्षा के अधिकार नियमों में शिकायत संबंधी क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक सभी पक्ष सम्मिलित हो। शिकायत करने की विधि, शिकायत किस विशेष अधिकारी को की जाए, शिकायत पर कार्यवाही के लिए समय–सीमा आदि।

शिक्षा के अधिकार का "मानक नियम प्रलेख", अपनी वर्तमान अवस्था में, निम्नलिखित का उल्लेख करता है:

1) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण के प्रावधान और विधियाँ : ताकि उन्हें उनके समकक्ष के अधिगम स्तर पर लाया जा सके।

2) पड़ोस (निकट) विद्यालयों की भौतिक सीमाएँ

3) राज्य सरकारों तथा स्थानीय अधिकारियों के कर्त्तव्य: विद्यालयों की उन्नति, यातायात सुविधाओं का प्रावधान अथवा आवासीय सुविधाओं, और निर्योग्यताग्रस्त बच्चों के अन्य प्रकार की सहायता, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर सकें आदि से संबंधित

4) एक स्थानीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों के रिकार्ड रखने की विधियाँ और उनका विवरण

5) समाज के कमजोर वर्गों तथा सुविधा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के पंजीयन तथा कक्षा संचालन से जुड़े मुद्दों पर अध्यापकों तथा विद्यालयों के उत्तरदायित्व

6) प्रत्येक बच्चे के लिए अपेक्षित आयु प्रमाण दस्तावेज

7) सभी विद्यालयों के लिए (सिवाय उन विद्यालयों के जो सरकारी है या सरकार द्वारा नियंत्रित है) मान्यता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तथा प्रविधि

8) वे शर्तें तथा प्रविधि जिनके अंतर्गत मान्यता प्राप्त की जा सकती है।

9) विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना तथा कार्य

10) विद्यालय विकास योजना जिसका परिरूप विद्यालय प्रबंधन समिति बनाएगी तथा उसे मॉनीटर भी करेगी;

11) अध्यापक अर्हताओं संबंधी मानदंड

3.6.1 प्रारंभिक भाग

इस अधिनियम के प्रारंभिक भाग में शिक्षा के अधिकार के नियमों की मुख्य अवधारणाओं को परिभाषित किया गया है:

क) **अधिनियम** से तात्पर्य है "निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार अधिनियम, 2009"।

ख) **आँगनवाड़ी** का अर्थ है : भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय की समाकलित बाल विकास योजना के अंतर्गत स्थापित आँगनवाड़ी केन्द्र।

ग) **"नियत तिथि"** से अभिप्राय है वह तिथि जिस पर सरकारी गजट की अधिसूचना के अनुसार अधिनियम लागू होता है।

घ) अध्याय, भाग (खंड) तथा अनुसूची का अर्थ है क्रमशः इस अधिनियम के अध्याय, खंड तथा अनुसूची

ङ) बालक (बच्चा) का अर्थ है वह बच्चा जिसकी आयु 6 – 14 वर्ष के भीतर है।

च) विद्यार्थी संचयी रिकार्ड से अभिप्राय है व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन पर आधारित बच्चे की प्रगति का रिकार्ड

छ) स्कूल मैपिंग (मानचित्रण) का अर्थ है विद्यालय अवस्थिति की इस प्रकार योजना बनाना कि सामाजिक व्यवधान या अवरोधों तथा भौगोलिक दूरी पर काबू पाया जा सके।

टिप्पणी

3.6.2 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के प्रति बच्चों के अधिकार

- **विशेष प्रशिक्षणः**

उन विद्यार्थियों को, जिनका दाखिला विलम्ब से हो पाया है, विशेष रूप से नियुक्त अध्यापक विशेष प्रशिक्षण देंगे ताकि वे बच्चे शैक्षिक तथा भावात्मक दृष्टि से कक्षा के शेष बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ जाएँ। इस प्रशिक्षण की अवधि तीन महीने की होगी।

- **खंड 4 की प्रथम शर्त के प्रयोजन से विशेष प्रशिक्षण**

विद्यालय प्रबंधन समिति/स्थानीय अधिकारिकी उन बच्चों की पहचान करेगी जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है और नीचे दी गई रीति के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन करेगी। यह विशेष प्रशिक्षण विशेष रूप से अभिकल्पित, आयु अनुकूल अधिगम सामग्री पर आधारित होगा जो शैक्षिक अधिकारिकी (खण्ड 29(1) में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित होगा। विशेष प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम या तो विद्यालय परिसर में होगा अथवा सुरक्षित आवासीय स्थानों पर जहाँ सुविधाएँ उपलब्ध हो। यह प्रशिक्षण या तो विद्यालय के अध्यापक आयोजित करेंगे या वे जो उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए जाएँगे। न्यूनतम अवधि तीन महीने की होगी जिसे अधिगम प्रगति के नियतकालिक आकलन को आधार मानते हुए अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है। इस विशेष प्रशिक्षण को पश्चात् जब बच्चा अपनी आयु अनुकूल कक्षा में प्रवेश पा लेगा तो भी कक्षा में उस पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा ताकि वह अन्य बच्चों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ सके।

3.6.3 राज्य सरकारों के कर्त्तव्य

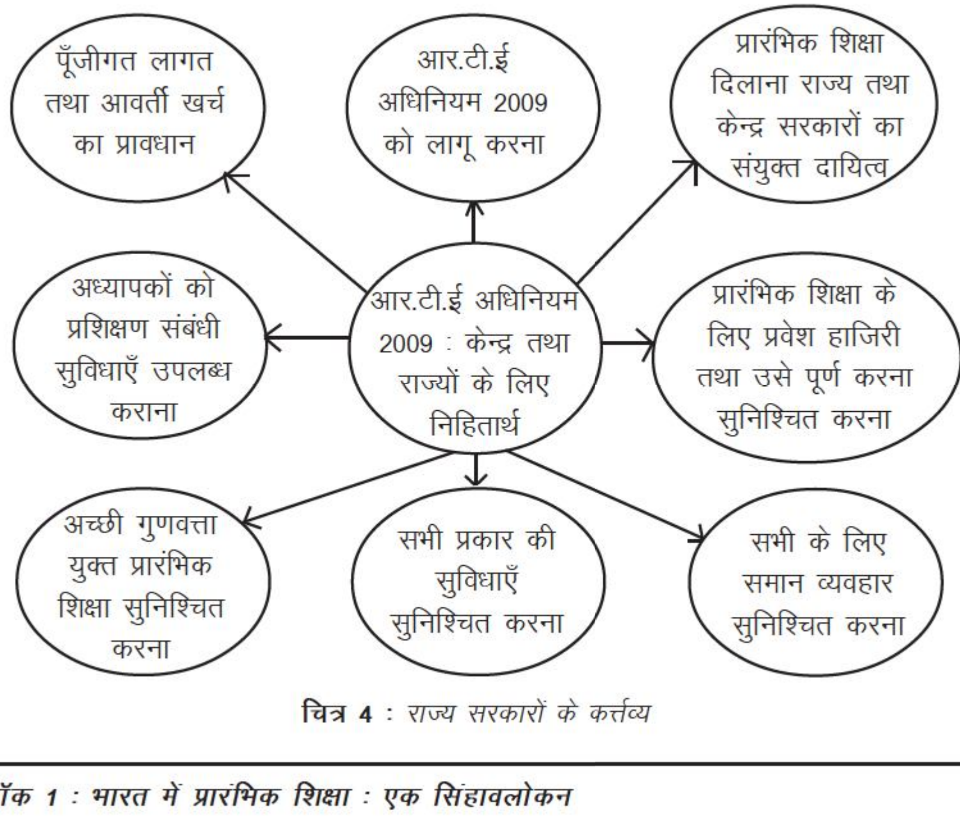

चित्र 4 : *राज्य सरकारों के कर्त्तव्य*

• स्थानीय अधिकारिकी

राज्य सरकार कक्षा I-V तक के विद्यार्थियों के लिए उनके निवास स्थान से अधिक से अधिक एक किलोमीटर की दूर पर और कक्षा VI-VIII तक के विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक 3 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय की स्थापना करेगी। यदि किसी क्षेत्र में पहले से ही कोई विद्यालय स्थित है तो आवश्यकतानुसार उसमें वे कक्षाएँ चलाई जाएँगी जो उसमें नहीं हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से राज्य आवश्यकतानुसार प्रारंभिक विद्यालयों के नेटवर्क का विकास नहीं कर पाए हैं। संबंधित राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार परिवहन या आवासीय सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इस संदर्भ में हमने कुछ राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करनी चाहिए कुछ राज्य लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास जारी कर रहे हैं तथा कुछ राज्यों ने लड़कियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की हैं ताकि वे सुविधापूर्ण विद्यालय पहुँच सके। पड़ोस में विद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारिकी विद्यालय मानचित्रण कर रही है और अधिकारिकी द्वारा सभी प्रकार के बच्चों, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं, की पहचान की जाएगी।

3.6.4 रिकार्डों का रखरखाव

स्थानीय अधिकारिकी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों का जन्म से लेकर जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, रिकार्ड रखेगी। यह कार्य वह प्रत्येक घर के सर्वेक्षण के द्वारा करेगी और इस रिकार्ड का अद्यतन (updating) प्रति वर्ष किया जाएगा। यहाँ पर एक अध्यापक के रूप में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि यदि कही भी किसी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा हे तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय अधिकारिकी को दे दी जाए; जैसे बच्चों का शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न, विद्यालय में प्रवेश से मना कर देना इत्यादि। इस प्रकार के मुद्दों के प्रति हमें अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए, एक योजना बना कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को कार्यान्वित कर मॉनीटर करते रहना चाहिए।

स्थानीय अधिकारिकी से यह अपेक्षा है कि वह विद्यालय में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को मॉनीटर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यह योजना बहुत से राज्यों में पहले से ही चल रही है और हम समाचारपत्रों के द्वारा अथवा अन्य मीडिया के माध्यम से इस योजना में चल रहे कदाचार के विषय में सुन रहे हैं। हमारा यह कर्त्तव्य बन जाता है कि हम इस प्रकार के कदाचार पर अपने स्तर पर ही रोक लगाने का प्रयास करें। विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास कार्यक्रम तेयार करेगी जो तीन वर्ष तक के लिए होगा। इसमें आधारभूत आवश्यकताएँ, मानव संसाधन संबंधी आवश्यकताएँ जैसे, आवश्यकतानुसार अध्यापकों या मुख्याध्यापकों की नियुक्ति, तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं। हम इस योजना के निर्माण में प्रबंधन समिति की सहायता कर सकते हैं।

3.6.5 विद्यालयों तथा अध्यापकों के कर्त्तव्य

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या मान्यता प्राप्त प्रत्येक विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में सहायता करेगा। हमें यह सदैव याद रखना चाहिए कि विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों का संघ (संस्था) के निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए उसे एक अभिरक्षक (custodian) के रूप में समझा जाता है। विद्यालय का संचालन इस अधिकारी की देखरेख और निर्देशों के अंतर्गत होता है। परंतु प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण में एक अध्यापक की भूमिका भी आधारीय होती है क्योंकि अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में मुख्य मानव संसाधन समझे जाते हैं।

यदि विद्यालय के संबंध में हमें सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वाह हम निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से नहीं करते तो हमारे विद्यालय को दी गई मान्यता ही समाप्त की जा सकती है। हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के सभी उन बच्चों की पहचान करे और सूची बनाए जो विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं, तथा पड़ोस (निकट) के विद्यालयों की पहचान करे और बच्चों को इनसे अवगत कराए।

3.6.6 विद्यालय प्रबंधन समिति

जैसा आप जानते हैं, प्रबंधन शिक्षा का एक महतवपूर्ण पक्ष है यदि हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाए तो हमें अपने विद्यालयों का प्रबंधन सही करना पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार प्रबंधन समिति बच्चों के अभिभावकों में से ही बनाई जाएगी जिनकी संख्या 75 प्रतिशत होगी। इस समिति के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं।

- यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक गैर–शैक्षिक कार्य के बोझ से नहीं दबे हैं (केवल जनगणना तथा चुनाव ड्यूटी को छोड़कर)
- सामान्य ड्यूटियों के अतिरिक्त अध्यापकों से अपेक्षा है कि वे एक ऐसी व्यापक फाइल बनाए रखें जिसमें प्रत्येक बच्चे का संचयी रिकार्ड हो। यह रिकार्ड ही उस वर्ष के लिए संबंधित बच्चे को पूर्ति (समापन) प्रमाणपत्र देने का आधार होगा। अध्यापकों से यह भी अपेक्षा है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पाठ्यचर्या निर्माण, प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्यपुस्तकों के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
- अध्यापकों के लिए एक शिकायत सुधार प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर तथा खंड (ब्लॉक) स्तर पर विद्यालय ट्रिब्युनलों (न्यायाधिकरणों) का गठन करेगी।
- राज्य या स्थानीय अधिकारिकी अध्यापक–अध्येता अनुपात पर दृष्टि रखेगी।

क्रियाकलाप 6

(1) आपके विचार में एक अध्यापक विद्यालय के अभिशासन तथा प्रबंधन में कैसे भाग ले सकता है?

....

....

....

2) आपने विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों का अध्ययन किया है। क्या आप किन्हीं और (अतिरिक्त) कार्यों का सुझाव दे सकते हैं?

....

....

....

3.6.7 अध्यापकों की अर्हताएँ (योग्यताएँ)

किसी भी राज्य की शैक्षिक अधिकारिकी अध्यापकों की अर्हताएँ निर्धारित करती हैं। इस अधिकारिकी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ सभी विद्यालयों पर लागू होती हैं। किसी राज्य में यदि अध्यापकों की कमी होती है, तो नियुक्ति के लिए इन अर्हताओं में थोड़ी ढ़ील दे दी जाती है। परंतु कुछ न्यूनतम अर्हताएँ अवश्य ही होनी चाहिए।

क्रियाकलाप 7

(1) क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसी स्थिति विशेष में अध्यापकों की अर्हताओं में ढ़ील दी जा सकती है?

....

....

....

3.6.8 पाठ्यचर्या तथा प्रारंभिक शिक्षा का समापन

राज्य सरकार यह अधिसूचना जारी करेगी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद (या इसकी कोई समतुल्य संस्था) जो राज्य की शैक्षिक अधिकारिकी है, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्या तथा अधिगम सामग्री तैयार कराएगी। यह संस्था सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी, पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन के लिए निर्देश पुस्तिका (गाइडलाइन)

का अभिकल्पन तथा निर्माण करेगी। इसके लिए यह भी बताएगी कि व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन को कैसे व्यावहारिक रूप दिया जाए। प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने पर एक महीने के अंदर विद्यालय/ब्लॉक/जिला स्तर पर इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा के सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करेगा कि बच्चे ने निर्धारित सभी अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिए हैं। यह प्रमाणपत्र बच्चे के संचयी रिकार्ड को दर्शाएगा तथा यह भी स्पष्ट करेगा कि निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त बच्चे की उपलब्धियाँ क्या–क्या हैं जैसे संगीत में, नृत्य में, साहित्य में तथा खेलकूद में।

एक अध्यापक के रूप में आपको सभी प्रकार के रिकार्ड रखने में सतर्कता बरतनी होगी, विशेषतः प्रत्येक बच्चे का संचयी रिकार्ड, जो आपको बच्चे के समग्र विकास का आकलन करने में अत्यंत सहायक होगा।

क्रियाकलाप 8

(1) "शिक्षा को एक मूल अधिकार" समझते हुए पाठ्यचर्या किस भाँति सामान्य विद्यार्थियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है? इस की न्यायसंगता पर प्रकाश डालें।

....

....

....

2) आपके विचार में विद्यालय अभिशासन की वर्तमान प्रणाली की क्या सीमाएँ या त्रुटियाँ थी?

....

....

....

3) बच्चों की प्रगति की जाँच करने के लिए व्यापक तथा सतत् मूल्यांकन करने की योजना की आवश्यकता की न्यायसंगता पर टिप्पणी करें।

....

....

....

3.6.9 बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा

देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बच्चे के अधिकार की रक्षा हेतु राज्य स्तरीय आयोगों का गठन किया है। ऐसे राज्यों में जहाँ बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य स्तरीय

टिप्पणी

आयोग का गठन नहीं हुआ है, राज्य सरकार वहाँ ऐसा आयोग गठित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। जब तक ऐसा नहीं होता, राज्य सरकार एक अंतरिम अधिकारिकी का गठन कर रही है। जिसे "शिक्षा अधिकार परिरक्षण अधिकारिकी" (REPA) का नाम दिया जा रहा है। ऐसा मालूम हुआ है कि आयोग या अधिकारिकी के गठन के बावजूद सभी स्तरों पर सहयोग, प्रतिबद्धता के अभाव में उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अतः एक अध्यापक के रूप में यह हमारा कर्त्तव्य बन जाता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ईमानदारी और निष्ठा से काम करते रहे।

अधिकारों के प्रकार

बच्चों के अधिकारों को बहुत सारे तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक अधिकारों का एक व्यापक स्पैक्ट्रम सम्मिलित होता है। अधिकारों को दो सामान्य प्रकारों में बाँटा जा सकता है। एक वे अधिकार जो बच्चों का कानून के अंतर्गत स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में समर्थन करते हैं; तथा दूसरे वे, जिनका उद्देश्य बच्चों को उन पर किए जाने वाले अपराध/क्षति से बचाना है, जो समाज के कुछ लोग उनकी आश्रिता या लाचारी के कारण उन पर करते हैं। ऐसे अधिकारों की माँग समाज से की जाती है। इन अधिकारों को क्रमशः सशक्तिकरण के अधिकार तथा सुरक्षा के अधिकार कहा जाता है। कनाडा का एक संगठन बच्चों के अधिकारों को तीन वर्गों में बाँटता है:

- **प्रावधानः** बच्चों को उपयुक्त जीवन स्तर, स्वास्थ्य और देखभाल, शिक्षा तथा सेवाओं, खेल तथा मनोरंजन के अधिकार हैं। इसमें एक संतुलित आहार, सोने के लिए अच्छे बिस्तर तथा पढ़ने के लिए विद्यालय में प्रवेश सम्मिलित है।

- **सुरक्षाः** बच्चों को कुप्रयोग से उपेक्षा से शोषण के तथा भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है। इसमें बच्चों को खेलने के लिए सुरक्षित स्थान का अधिकार है, रचनात्मक पालन पोषण का अधिकार, तथा बच्चों की विकासशील योग्यताओं का अनुमोदन (स्वीकृति) सम्मिलित है।

- **भागीदारीः** बच्चों को सामुदायिक भागीदारी और अपने लिए कार्यक्रमों और सेवाओं का अधिकार है। इसमें बच्चों का पुस्तकालय में तथा सामुदायिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना आता है। इसके अतिरिक्त बच्चों का निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित होना भी आता है।

  इसी प्रकार दी चाइल्ड राइट्स इंफोर्मेशन नेटवर्क (CRIN) भी बच्चों के अधिकारों को दो वर्गों में बाँटता है:

  (क) **आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकारः** इनका संबंध उन अवस्थाओं से है जो मानव की मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा देखभाल तथा लाभकर नियोजन, से है। इसमें शिक्षा का अधिकार

उपयुक्त आश्रय, भोजन, जल, उच्चतम प्राप्य स्वास्थ्य स्तर के अधिकार, काम का तथा काम पर अधिकार, तथा अल्पसंख्यकों तथा देशज व्यक्तियों के अधिकार सम्मिलित हैं।

(ख) **पर्यावरण संबंधी, सांस्कृतिक तथा विकासात्मक अधिकारः** इनको प्रायः तीसरी पीढ़ी के अधिकार कहा जाता है। इन में एक सुरक्षित व स्वास्थ्यकर वातावरण में रहने का अधिकार तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के अधिकार सम्मिलित होते हैं।

वैज्ञानिक अध्ययन सामान्यतः व्यक्तिगत अधिकारों की पहचान कर बच्चों के अधिकारों पर बल देते हैं। निम्नलिखित अधिकार बच्चों को स्वतंत्र व स्वस्थ रूप से विकसित होने में सहायक होते हैं:

- वाणी की स्वतंत्रता
- विचार की स्वतंत्रता
- भय से मुक्ति
- वरण की स्वतंत्रता तथा निर्णयन की स्वतंत्रता
- अपने शरीर पर स्वामित्व की स्वतंत्रता

भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची में है। जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा देना राज्य तथा केन्द्र दोनों सरकारों का संयुक्त दायित्व है। अतः इसके वित्त की व्यवस्था करना दोनों का उत्तरदायित्व है जिससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया सके। शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार अनुमानित खर्च तैयार करेगी तथा राज्य सरकारों को सहायता अनुदान देगी। इस अनुदान का कुल खर्च की निर्धारित प्रतिशत हो सकती है जो समय–समय पर बदल सकती है।

6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना राज्य तथा केन्द्र सरकार दोनों का सामूहिक दायित्व है।

संबंधित राज्यः

- यह सुनिश्चित करेगा कि 6 वर्ष से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा विद्यालय में प्रवेश पाए, विद्यालय में आए तथा अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे।
- पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करे।
- यह सुनिश्चित करे कि किसी भी आधार पर बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रतिपादन में कोई भेदभाव न हो।
- यह भी सुनिश्चित करे कि प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति करने में उन्हें विद्यालय में सभी प्रकार की ढाँचागत तथा शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध हों।

- प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा की सुगम्यता सुनिश्चित करें।
- प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

3.7 सारांश

इस इकाई में हमने प्राथमिक शिक्षा की अवधारणा तथा आवश्यकता पर चर्चा की है जिसका अर्थ है प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। इस इकाई में इस अनुच्छेद तथा अन्य प्रावधानों पर चर्चा की गई। सन् 2002 में भारतीय संसद ने 86वाँ संविधान संशोधन किया जिसके फलस्वरूप 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बीच की शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) को मूल अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया। सन् 1959 में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चे के अधिकारों की घोषणा की थी जिसमें जिंदा रहने का अधिकार, नाम का अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, पोषण का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य और देखभाल का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, दुरुपयोग से, उपेक्षा से, शोषण से बचाव का अधिकार आदि सम्मिलित हैं। सन् 2009 में भारतीय संसद ने एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहा जाता है। हमने इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का सविस्तार अध्ययन किया।

3.8 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Aggarwal, J C: Development Of Education System In India
- en.wikipedia.org/wiki/Sarva_Shiksha_Abhiyan
- unesdoc.unesco.org/images
- www.tn.gov.in/schooleducation/contacts.htm

3.9 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) उन कारणों की व्याख्या करें जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक रहे।

2) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के 5 अधिकारों का वर्णन करें तथा अध्यापकों और विद्यार्थियों के लाभ के लिए कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करें।

टिप्पणी

इकाई 4 प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकरण की संगठनात्मक संरचना

संरचना

4.0 प्रस्तावना

4.1 अधिगम उद्देश्य

4.2 राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना – एन.सी.ई.आर.टी.

4.2.1 एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका

4.2.2 एन.सी.ई.आर.टी. के कार्य

4.3 राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना

4.3.1 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

4.3.2 राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (एस.आई.ई.एम.टी.)

4.4 जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना (डी.आई.ई.टी.)

4.4.1 डाइट की भूमिका

4.4.2 डाइट के प्रकार्य

4.5 प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक संरचना (बी.आर.सी.)

4.5.1 खंड संसाधन केन्द्र की भूमिका तथा प्रकार्य

4.6 कलस्टर (संकुल) स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना (सी.आर.सी.)

4.6.1 संकुल संसाधन केन्द्र की भूमिका

4.6.2 संकुल संसाधन केन्द्र के प्रकार्य

4.7 सारांश

4.8 शब्दावली/संकेताक्षर

4.9 संदर्भ ग्रंथ/कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

टिप्पणी

4.0 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए में सूचीबद्ध नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है: "व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रिया के समस्त क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उद्यम और उपलब्धि के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ता रहे।" इस मूल कर्तव्य के भाव को समझते हुए देश में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी है जो इस कार्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता कर रही है। इनमें से कुछ संस्थाएँ प्रशासनिक है तथा कुछ स्वयंसेवी हैं।

प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न आयामों में उत्कर्ष प्राप्त करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.), भारत सरकार ने देश में प्रारंभिक शिक्षा के गुणवत्ता सुधार के दायित्व का विकेन्द्रीकरण कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.), राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (State Council of Educational Research and Training – SCERT), जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Educational Training - DIETs), प्रखंड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) (Block Resource Centre – BRC), संकुल संसाधन केन्द्र (Cluster Resource Centres - CRC) ऐसी प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएँ हैं जो प्रारंभिक विद्यालयों को शैक्षिक तथा संसाधन सहायता प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं कार्य अध्यापकों के समग्र सहयोग पर आधारित होता है। अध्यापक इन संस्थाओं का लाभ दो प्रकार से लेते हैं।

- विभिन्न प्रशिक्षण कक्षाओं के माध्यम से अध्यापकों के कौशल और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अलग–अलग परियोजनाएँ चलाई जाती हैं।
- ये संस्थाएँ शिक्षा में किए गए विभिन्न नवाचारों को मान्यता देती हैं तथा उन्हें प्रमाणित करती हैं। अध्यापकों को नया ज्ञान प्राप्त होता है ताकि वे अपने ज्ञान, कौशल और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकें।

आगे बढ़ने से पूर्व आप नीचे दिए गए चित्र 4.1 का अवलोकन करें। यह चित्र आपको इस इकाई में सन्निहित विभिन्न अवधारणाओं और उनके सहसंबंध की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है।

टिप्पणी

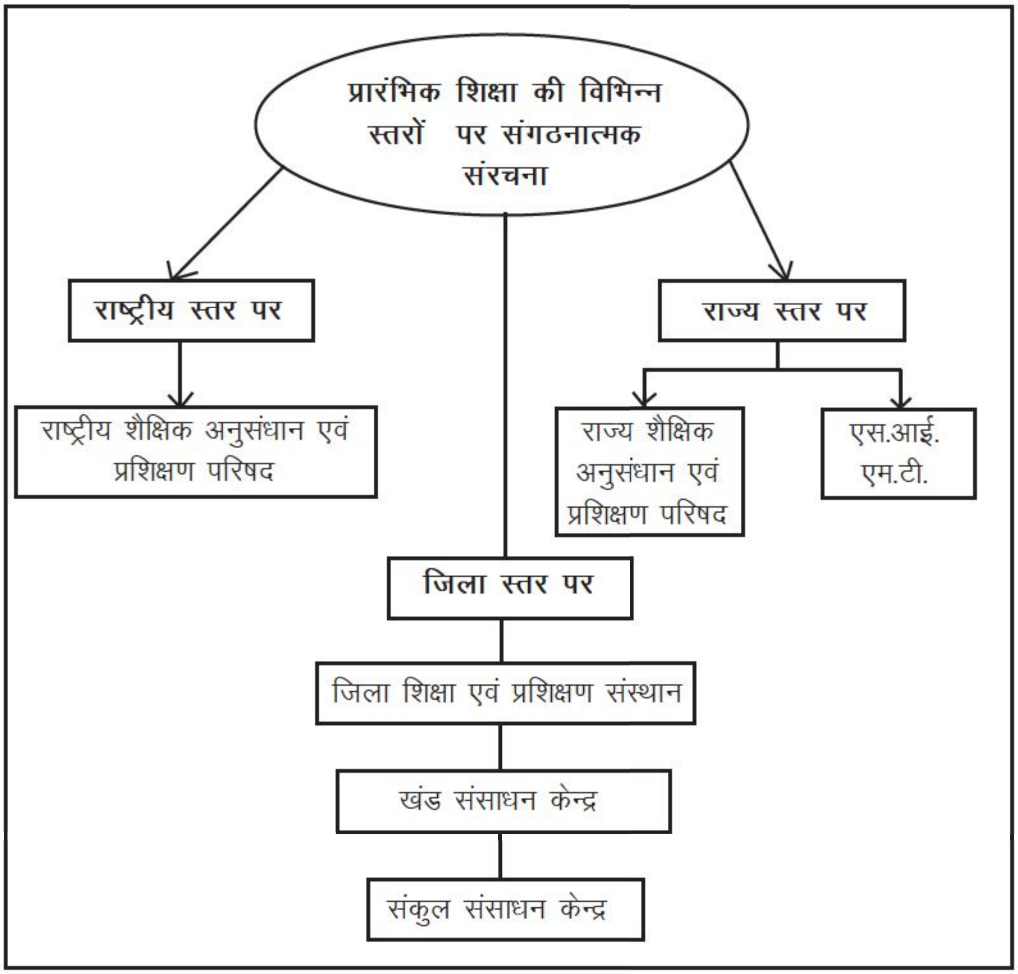

चित्र 1 : *इकाई का अवधारणा मानचित्रण*

4.1 अधिगम उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जाएँगे कि:

- विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना की व्याख्या कर सकेंगे;
- राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की भूमिका और कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- राज्य स्तर की संस्थाओं जैसे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और एस आई ई एम टी की भूमिका और कार्यों को स्पष्ट कर सकेंगे;
- प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला स्तरीय संस्थाओं जैसे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), खंड संसाधन केन्द्रों (BRCs) इत्यादि की भूमिका और कार्यों की विवेचना कर सकेंगे; और
- देश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु कुछ तरीकों के बारे में बता सकेंगे।

टिप्पणी

4.2 प्रारंभिक शिक्षा की राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक संरचनाः एन.सी.ई.आर.टी.

सन् 1954 से आरंभ कर आगे भारत में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई जैसे पाठ्यपुस्तक अनुसंधान का केन्द्रीय ब्यूरो (1954), इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडैंस (1954), बेसिक शिक्षा का राष्ट्रीय संस्थान (1956), नेशनल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सेंटर (1959), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सैकेंडरी एजुकेशन (1959) तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडियो विजुअल एजुकेशन (1959)। इन संस्थाओं की स्थापना अलग–अलग कार्यों के लिए की गई थी। आइए, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं का सविस्तार अध्ययन करें।

सन् 1961 में बहुत सारी संस्थाओं को एक वृहतर राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत ला दिया गया जिस को पर्याप्त मात्रा में मानव तथा भौतिक संसाधन तथा स्वायत्तता प्रदान की गई। इस संस्था का नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) रखा गया। इसकी स्थापना 1 सितम्बर 1961 में दिल्ली में की गई। एन.सी.ई.आर.टी. का मुख्य फोकस विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाना था। इसका उद्देश्य शैक्षिक मामलों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों को सलाह देना था। आज भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम तथा नीतियाँ बनाने और उनका कार्यान्वयन करने में एन.सी.ई.आर.टी. की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है। एन.सी.ई.आर.टी. की एक महासभा होती है जिसमें सभी राज्यों के शिक्षामंत्री, प्रख्यात शिक्षाविद, तथा अध्यापक प्रतिनिधित्व करते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. के चार उद्देश्य हैं:

- विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना
- प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
- शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना
- देश में विद्यालयी शिक्षा के सम्मुख आने वाली समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना

इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न निकाय या संस्थान निम्नलिखित हैं:

- राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एन.आई.ई.), नई दिल्ली
- केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.), नई दिल्ली
- पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.), भोपाल

टिप्पणी

- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आर.आई.ई.) जो अजमेर, भोपाल, भुबनेश्वर, मैसूर तथा शिलांग में स्थित हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. की मुख्य अंतरंग परिषद या प्रबंध परिषद इसकी कार्यकारी समिति है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, सामान्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सामान्य सभा में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

- सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों के शिक्षामंत्री
- यू.जी.सी. का अध्यक्ष, भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति (प्रत्येक क्षेत्र से एक विश्वविद्यालय का), तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का आयुक्त, निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, प्रशिक्षण निदेशक, डी.जी.ई.टी., श्रम मंत्रालय, योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग का एक प्रतिनिधि, परिषद की कार्यकारी समिति के सभी सदस्य और कुछ ऐसे व्यक्ति (6 से अधिक नहीं) जो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं (जिनमें कम से कम चार अध्यापक होने चाहिए)।
- एन.सी.ई.आर.टी. का सचिव इसका संयोजक होता है। मुख्य समिति की सहायतार्थ तीन उप समितियाँ होती हैं। ये समितियाँ आर्थिक व अन्य परियोजनाएँ चला सकती हैं। इस समिति का अध्यक्ष, एन.सी.ई.आर.टी. का निदेशक होता है।

4.2.1 एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका

सन् 1961 में भारत सरकार ने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को शिक्षा संबंधी नीतियों को लागू करने में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की स्थापना की। इस का विशेष उद्देश्य या संबंध विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना तथा अध्यापक तैयार करना था। समय के साथ यह परिषद एक अद्वितीय रूप धारण कर चुकी है जिसमें निरंतर बढ़ते ऐसे क्रियाकलाप संपादित किए जाते हैं जिनसे भारत में विद्यालयी शिक्षा प्रभावित हुई है।

एन.सी.ई.आर.टी. शैक्षिक अनुसंधान (शोध) कार्यक्रम संचालित करने, उनमें सहायता करने तथा शैक्षिक शोध, विज्ञान में प्रशिक्षण आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.ई.टी.) तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान शिक्षा के विभिन्न पक्षों तथा अध्यापक शिक्षा पर शोध कार्यक्रमों का दायित्व लेते हैं। एन.सी.ई.आर.टी. वित्तीय सहायता तथा शैक्षिक निर्देशन प्रदान कर अन्य संस्थाओं/संगठनों के शोध कार्यक्रमों की सहायता करती है। शोधकर्त्ताओं/विशेषज्ञों को उन के पीएच.डी. के शोध ग्रंथ प्रकाशित करने में अनुदान राशि प्रदान करती है। विद्यालय शिक्षा से संबंधित अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए और योग्य शोधकर्त्ताओं का एक निकाय बनाने के लिए शोध वृत्ति दी जाती है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति एन.सी.ई.आर.टी. की प्रधान संस्था है। यह संस्था शोध, प्रशिक्षण तथा विस्तार परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्तावों को, जो इसे सलाह के लिए जाते हैं, विचार के पश्चात् अपनी राय देती है (यह संस्था शैक्षिक नीतियाँ विकसित करने के लिए परियोजना तैयार करती है), यह शोध और प्रशिक्षण परियोजनाएँ आरंभ करती है, पर्यवेक्षण करती है तथा मार्गदर्शन भी करती है। तत्पश्चात् इनसे संबंधित योजनाओं की जाँच करती है तथा उनको समन्वित करती है। बोर्ड तीन स्थाई उप समितियों के माध्यम से कार्य करता है:

i) प्रथम, शोध योजना जो अन्य संस्थाएँ एन.सी.ई.आर.टी. को विचाराधीन प्रस्तुत करती है, उन को देखने वाली समिति

ii) द्वितीय, जिसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के साथ शैक्षिक अध्ययन तथा शोध की योजना बनाने तथा समन्वयन करने से है।

iii) तृतीय, वह जिसका संबंध विस्तार तथा क्षेत्र सेवा से है।

एन.सी.ई.आर.टी. ने अपने उद्देश्य को पूरा करने तथा शोध, उच्च प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित करने के लिए एक मुख्य संस्थागत एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए हैं। एन.सी.ई.आर.टी. के विशिष्ट कार्य निम्नलिखित हैं:

1) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को लागू करना
2) प्रारंभिक शिक्षा का सार्विकीकरण
3) व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना
4) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा
5) पूर्व बाल्यकाल शिक्षा
6) मूल्यांकन एवं परीक्षा सुधार
7) मूल्य शिक्षा
8) शैक्षिक प्रौद्योगिकी
9) अनुकरणीय पाठ्यपुस्तक/कार्य पुस्तिका/अध्यापक निर्देशिका/संपूरक अध्ययन सामग्री तैयार करना
10) अध्यापन–अधिगम सहायक सामग्री का विकास/उत्पादन
11) बालिकाओं की शिक्षा
12) प्रतिभा की पहचान तथा उसको पोषित करना
13) निर्देशन तथा परामर्श
14) अध्यापक शिक्षा में सुधार
15) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

4.2.2 एन.सी.ई.आर.टी. के कार्य

एन.सी.ई.आर.टी. निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है:

क) **अनुसंधानः** एन.सी.ई.आर.टी. स्वतंत्र रूप से तथा दूसरी संस्थाओं के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करती है। यह शोधकर्ताओं के लिए आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम आयोजित करती है तथा विद्यालयी शिक्षा में शोध अध्ययनों को प्रोत्साहित करने के लिए शोध शिक्षा वृत्ति प्रदान करती है।

ख) **प्रशिक्षणः** यह शैक्षिक सीढ़ी के विभिन्न स्तरों – पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक और ऐसे क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी निर्देशन तथा परामर्श तथा विशेष शिक्षा, में अध्यापकों के लिए सेवा–पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

ग) **विकासः** यह विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यचर्या/सिलेबस तथा अध्यापन सामग्री का निर्माण करती है, या उनका आधुनिकीकरण करती है और उन्हें समाज की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाती है। यह शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास करती है जिसमें शैक्षिक सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन प्रविधियाँ तथा तकनीक सम्मिलित होती हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, जनसंख्या शिक्षा तथा निर्योग्य व्यक्तियों तथा अन्य विशेष समूह के क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलाप का दायित्व लेती है।

घ) **सेवा–पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षणः** यह पात्रतायुक्त अभ्यर्थियों के लिए सेवा–पूर्व अध्यापकों, अध्यापक–शिक्षकों तथा अध्यापक शिक्षा से जुड़े अन्य कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

ङ) **अभिमुखीकरण :** यह विद्यालयी शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को शिक्षा में हुए नए विकास से विचारों से, विचारधाराओं से तथा सभी विषयों में नए ज्ञान से अवगत कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

च) **अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण**: यह विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभिन्न शोध अध्ययन, खोज तथा सर्वेक्षण करने का दायित्व लेती है।

छ) यह उन्नत शैक्षिक तकनीकों तथा विधियों के विषय में सूचना (ज्ञान) तथा शोध निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार करती है।

ज) **मंत्रणा (सलाह):** यह विद्यालयी शिक्षा तथा अध्यापक–शिक्षा पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को मंत्रणा देती है।

झ) **नीति कार्यान्वयनः** यह भारत सरकार के कार्यक्रमों व नीतियों के कार्यान्वयन से संबंध रखती है।

ञ) विभिन्न क्षेत्रों से संबंध: इसका संबंध शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से है, जैसे पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, प्रकाशन, परीक्षाएँ इत्यादि। इन क्षेत्रों में यह शोध भी करती हैं, इस उद्देश्य से कि शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार हो सके।

टिप्पणी

एन.सी.ई.आर.टी. के इन प्रकार्यों का निरूपण निम्न आकृति से स्पष्ट हो जाता है:

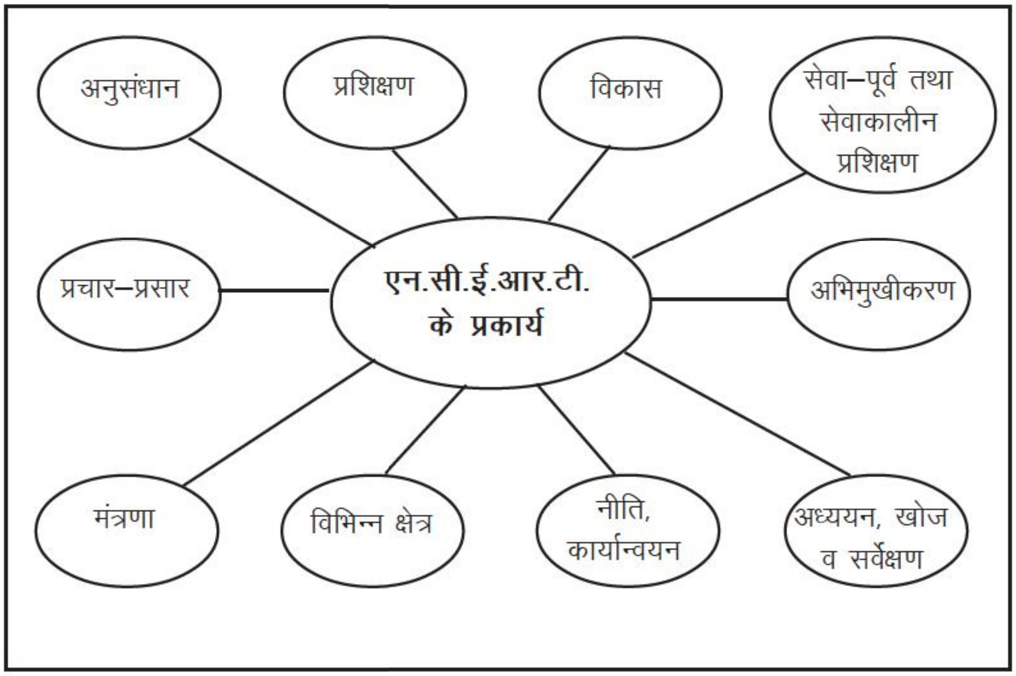

चित्र 3: *एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकार्य*

अंतरराष्ट्रीय भूमिका

एन.सी.ई.आर.टी. विद्यालयी शिक्षा से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से समन्वय तथा सहयोग करती है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक (वर्ल्ड बैंक) इत्यादि एन.सी.ई.आर.टी. के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। परिषद प्राथमिक शिक्षा, पूर्व–प्राथमिक शिक्षा, अध्यापक प्रशिक्षण तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रम करती रहती है।

क्रियाकलाप–1

1) प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में एन.सी.ई.आर.टी. की भूमिका का उल्लेख लगभग 100 शब्दों में करें।

....

....

....

4.3 राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर कार्यरत दो मुख्य संस्थाएँ हैं: राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद – एस.सी.ई.आर.टी. (State Council of Educational Research and Training – SCERT) तथा राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान – एस.आई.ई.एम.टी. (State Institute of Educational Management and Training - SIEMT)

4.3.1 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः इसका नियंत्रण या प्रबंधन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। दोनों के उत्तरदायित्व संविधान के अनुसार बँटे हुए हैं। राज्य स्तर पर शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप संघटित व समन्वित करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद – एस.सी.ई.आर.टी. की स्थापना की गई जो कि एन.सी.ई.आर.टी. का राज्य स्तरीय प्रतिरूप या प्रतिपक्ष है। इसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तक के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों के योजना बनाना, प्रबंधन, शोध, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन के क्षेत्रों का दायित्व सौंपा गया है। एस.सी.ई.आर.टी. 36 स्थानों पर स्थापित की गई है जिनमें सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, गोवा, जम्मू तथा कश्मीर इत्यादि सम्मिलित हैं।

(i) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की संगठनात्मक संरचना

एस.सी.ई.आर.टी. के विभिन्न विभाग हैं जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। ये विभाग निम्नलिखित हैं:

- सेवाकालीन शिक्षा विभाग
- प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा विभाग
- सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा विभाग
- शैक्षिक शोध, नीति, परिप्रेक्ष्य तथा नवाचार विभाग
- शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
- परीक्षा तथा प्रशासन प्रकोष्ठ

इसके कुछ अन्य विभाग हैं जैसे:

- शैक्षिक प्रकोष्ठ
- प्रशासन प्रकोष्ठ
- लेखा विभाग
- प्रकाशन विभाग

(ii) एस.सी.ई.आर.टी. की भूमिका

- एस.सी.ई.आर.टी. प्रारंभिक, माध्यमिक तथा अध्यापक शिक्षा के राज्य स्तरीय शिक्षा विभाग का शैक्षिक विंग (शाखा) है।
- विद्यालयी शिक्षा, ग़ैर–औपचारिक शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा में यह परिवर्तन के कर्त्ता के रूप में कार्य करती है।
- यह राज्य के माध्यमिक प्रशिक्षण विद्यालय, डाइट, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालयों तथा उच्च अध्ययन संस्थानों का नियंत्रण व पर्यवेक्षण करती है।
- यह राज्य सरकार को अध्यापकों, अध्यापक–शिक्षक तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजती है।
- एस.सी.ई.आर.टी. प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयी अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए वित्त की व्यवस्था करती है, तथा उसे मॉनीटर करती है।
- अधिगम के न्यूनतम स्तरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अध्ययन करती है, उसे संशोधित करती है, कार्यनीति तैयार करती है, तथा अधिगम सामग्री तैयार करती है।
- वह न्यूनतम अधिगम स्तरों – एम.एल.एल. (MLLs) के विषय में अध्यापकों को अवगत कराती है, और विभिन्न विषयों से संबंधित अधिनियम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने में बच्चों की सहायतार्थ कार्यनीतियाँ विकसित करती है।
- यह विद्यालय–पूर्व बच्चों के लिए भी अध्ययन पैकेज तैयार करती है।
- अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में यह विस्तार सेवाएँ प्रदान करती है और सभी विस्तार सेवा केन्द्रों के कार्य समन्वय करती है।
- यह ऐसी योजनाओं या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रायोजित किए गए हों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक आदि से निधिबद्ध हों।
- यह विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन संचालित करती है और विद्यालयों की शोध परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता करती है।

(iii) एस.सी.ई.आर.टी. के प्रकार्य

एस.सी.ई.आर.टी. निम्नलिखित प्रकार्य संपादित करती है:

क) **पाठ्यचर्या संशोधन तथा पाठ्यपुसतकों का पुनर्रीक्षण या समीक्षा :** प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रमों का संशोधन तथा पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा/पुनर्रीक्षण एस.सी.ई.आर.टी. का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकार्य है।

ख) **कार्यशालाएँ चलाना :** यह शोध विधियों पर कार्यशालाएँ आयोजित करती है जिसमें योग्यताओं के विभिन्न क्षेत्रों पर बल दिया जाता है।

ग) **सेवा–पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षणः** अध्यापकों में अनिवार्य कौशलों का विकास करने के लिए यह अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करती है।

घ) **समग्र गुणवत्ता प्रबंधनः** यह समग्र गुणवत्ता प्रबंधन – टी क्यू एम (Total Quality Management - TQM) की अवधारणा पर विशेष बल देती है। गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के मूल कारणों को दूर करने का प्रयत्न करती है, मात्र इसके लक्षणों का उपचार नहीं करती।

ङ) **निर्देशनः** विभिन्न नवाचारी रीतियों, जैसे सतत् व व्यापक मूल्यांकन, मानक अधिगम प्ररूप, शिक्षणशास्त्र, प्रभावी शिक्षण विधियाँ इत्यादि पर अध्यापकों को निर्देशन प्रदान करती है।

च) **अभिमुखीकरण कार्यक्रमः** विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रवीणता वृद्धि शोध अभिक्षमता, नेतृत्व व्यवहार आदि में अध्यापकों के सशक्तिकरण के लिए यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाती है।

सारांश में हम कह सकते हैं कि राज्य में शैक्षिक सहायता प्रदान करने तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एस.सी.ई.आर.टी. एक शीर्ष संस्था है।

4.3.2 राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान–एस.आई.ई.एम.टी.

एस.आई.ई.एम.टी. एक राज्य स्तरीय स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना विभिन्न राज्यों में एस.सी.ई.आर.टी. के एक पक्ष के रूप में की गई है जो एस.एस.ए. का राज्य घटक कार्यक्रम है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देना तथा शोध करना है।

आजकल जिला स्तरीय शैक्षिक योजनाओं को कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए पेशेवरों (व्यावसायिकों) की माँग बढ़ रही है। इसके कारण सभी स्तरों : राज्य, जिला, उपजिला तथा मूल स्तरों पर शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन, कार्यान्वयन तथा प्रबंधन में व्यावसायिक विशेषज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। अतः राज्य, जिला तथा उपजिला स्तर पर शैक्षिक आयोजन, प्रशासन तथा प्रबंधन क्रियाकलाप व्यवसायीकरण में सहायता हेतु एस.आई.ई.एम.टी. एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था है।

शैक्षिक प्रबंधन के क्षेत्र में एस.आई.ई.एम.टी. की स्थापना एक आधार संस्था के रूप में हुई है। इस संस्थान का मुखिया एक निदेशक होता है। इसकी एक सामान्य सभा होती है जिसकी अध्यक्षता राज्य का शिक्षामंत्री करता है, इसके अतिरिक्त एक कार्यकारिणी भी होती है जिसका अध्यक्ष राज्य का मुख्य सचिव होता है। इस संस्थान के अधीन विभिन्न विभाग

स्थापित किए गए हैं जैसे नीति और आयोजन विभाग, प्रबंधन विभाग, शैक्षिक वित्त विभाग, शोध विभाग, मूल्यांकन और शैक्षिक नवाचार विभाग तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली।

(i) एस.आई.ई.एम.टी. की भूमिका

एस.आई.ई.एम.टी. की मुख्य भूमिका विद्यालयी शिक्षा के प्रबंधन में लगे प्रशासनिक तथा अन्य अधिकारियों में प्रबंधन कौशलों का विकास करना हैं एस.आई.ई.एम.टी. की भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

क) **ज्ञानोपार्जन**

- शोध के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति
- अन्य स्रोतों से प्राप्त शोध निष्कर्ष
- राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय अनुभवों पर आधारित केस अध्ययनों का संकलन

ख) **ज्ञान का प्रसार**

- मीडिया के प्रयोग से
- प्रकाशन द्वारा
- सुग्राहीकरण (sensitization) सत्रों द्वारा
- सेमिनार तथा चर्चाओं द्वारा

ग) **ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता तथा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करना**

- अधिकारियों, प्रशिक्षकों, समुदाय के नेताओं का अभिमुखीकरण
- व्यावसायिक तथा तकनीकी सलाह देना
- जिला स्तरीय तथा सूक्ष्म स्तर पर आयोजन
- विद्यालयी प्रभाविता में सुधार लाना – संस्थागत योजना विस्तार कार्य

घ) **शैक्षणिक संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान कराना**

(ii) एस.आई.ई.एम.टी. के प्रकार्य

एस.आई.ई.एम.टी. के मुख्य प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

- राज्य स्तर पर नीति आयोजन को समर्थन देना
- शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर शोध अध्ययन करना
- राज्य स्तरीय व उप–राज्य स्तरीय संस्थाओं को व्यावसायिक (प्रोफेशनल) मार्गदर्शन देना

- राज्य, जिला तथा क्षेत्र स्तर के अधिकारियों तथा समुदाय के अग्रणी व्यक्तियों तथा शैक्षिक प्रबंधक में योग्यता/क्षमता का विकास करना
- शैक्षिक संस्थाओं, शैक्षिक कार्यक्रमों तथा विद्यमान शिक्षा प्रणाली की मूल्यांकन प्रणाली को विकसित करना तथा उसका प्रबंधन करना
- शैक्षिक अधिकारियों में सकारात्मक अभिवृत्तिक परिवर्तन लाने के लिए सहायता, मार्गदर्शन व प्रशिक्षण प्रदान करना
- शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के क्षेत्र में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की सूचना प्राप्त कर उसे सभी स्तरों पर प्रचारित या प्रसारित करना
- शैक्षिक आयोजन, प्रबंधन, विकास, मानीटरिंग, प्रशिक्षण तथा शोध के लिए राज्य के अंदर व बाहर एक नेटवर्क स्थापित करना
- उन सबके लिए जो शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन में लगे हुए हैं उनके लिए एक सांझा प्लेटफार्म (मंच) प्रदान करना
- दूसरे राज्यों, भारत सरकार तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को परामर्श प्रदान करना
- शैक्षिक आयोजन तथा प्रबंधन के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए ग़ैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की सहायता करना।

क्रियाकलाप 2

1) शैक्षिक शोध, प्रशिक्षण तथा विकास के संदर्भ में एस.सी.ई.आर.टी. के प्रकार्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें।

....

....

....

2) वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में एस.आई.ई.एम.टी. एक महतवपूर्ण भूमिका निभाता है। इस कथन के औचित्य को सिद्ध करें।

....

....

....

टिप्पणी

4.4 जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना – डाइट (डी.आई.ई.टी.)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – डाइट (District Institute of Educational Training - DIET) की अवधारणा तथा इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के फलस्वरूप आए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान – डाइट, एक जिला स्तरीय एजेंसी है जो जिला स्तर पर शिक्षा शास्त्रीय क्रियाकलाप का आयोजन, कार्यान्वयन तथा मॉनीटरिंग करती है।

डाइट की संरचना

यह सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व प्रशिक्षार्थियों को आवासीय सुविधाएँ प्रदान करती है। प्रत्येक डाइट में निम्नलिखित 7 शैक्षिक शाखाएँ होती हैं:

- सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा शाखा
- कार्यानुभाव शाखा
- जिला संसाधन इकाई
- सेवाकालीन कार्यक्रम: क्षेत्रीय अन्योन्यक्रिया तथा नवाचार समन्वय शाखा
- पाठ्यचर्या, पाठ्य सामग्री विकास तथा मूल्यांकन शाखा
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी शाखा
- आयोजन तथा प्रबंधन शाखा

इन शाखाओं का चित्र निरूपण नीचे आकृति 4.4 में दिया किया गया है:

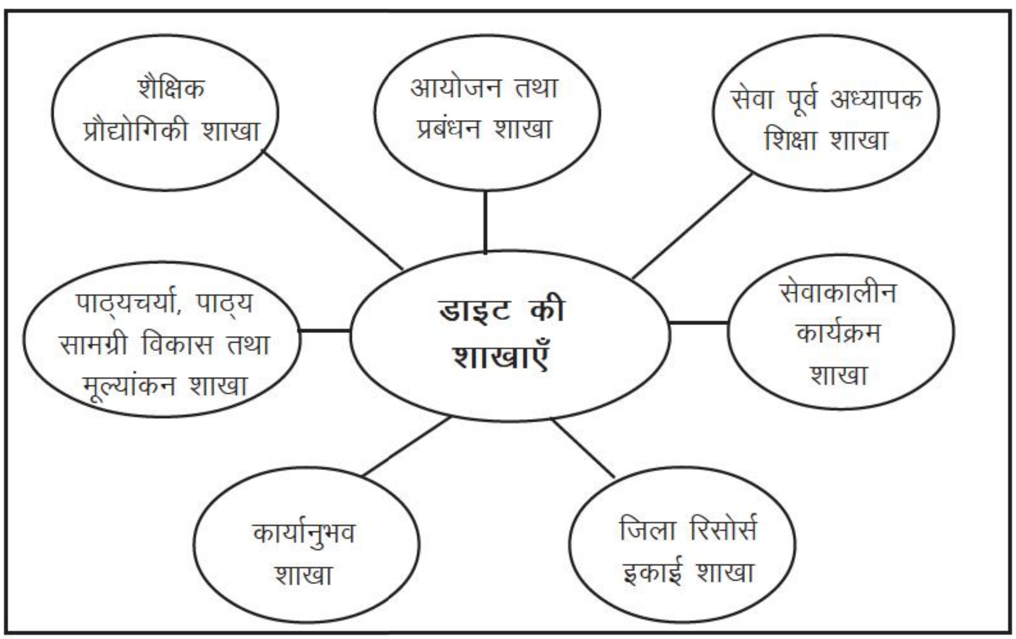

चित्र 4.4: *डाइट की शैक्षिक शाखाएँ*

4.4.1 डाइट की भूमिका

डाइट की भूमिका नीचे दी जा रही है:

- जिला तथा उप–जिला स्तर पर सभी स्टेकहोल्डरों के साथ सीधे बातचीत कर समस्या–क्षेत्रों की पहचान करना।
- प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर लघु शोध तैयार करना व संचालित करना
- जिले में हो रहे क्रियात्मक शोध क्रियाकलाप को मॉनीटर करना
- अध्यापकों तथा अन्य शोध कर्मियों को क्रियात्मक शोध संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें संसाधन सहायता प्रदान करना
- शोध निष्कर्षों को बाँटना और अपनी–अपनी इंटरवेंशन में सुधार लाने के लिए इन्हें जिला स्तरीय योजनाओं में सम्मिलित करना

4.4.2 डाइट के प्रकार्य

प्रत्येक डाइट को निम्नलिखित प्रकार्य करने पड़ते हैं:

क) निम्नलिखित लक्ष्य समूहों का प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण

- प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक (सेवाकालीन व सेवा–पूर्व, दोनों)
- प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण – मुख्याध्यापकों का तथा ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का
- इंस्ट्रक्टर तथा पर्यवेक्षक – ग़ैर–औपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के
- जिला शिक्षा बोर्ड के सदस्यों तथा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, समुदाय के अग्रणी व्यक्तियों, नवयुवकों और अन्य स्वयंसेवियों का अभिमुखीकरण जो शैक्षिक क्रियाकलाप में कार्य करने की इच्छा रखते हैं।

ख) निम्नलिखित के द्वारा जिला में प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली की शैक्षिक समर्थन/सहायता

- क्षेत्र में विस्तार क्रियाकलाप तथा अन्योन्यक्रिया
- अध्यापकों व प्रशिक्षकों के लिए एक संसाधन तथा अधिगम केन्द्र की सेवा का प्रावधान
- स्थानिक रूप से संगत सामग्री, अध्यापान सहायक सामग्री, मूल्यांकन उपकरणों इत्यादि का विकास
- शिक्षा विद्यालयों तथा ग़ैर–औपचारिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए एक मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना

टिप्पणी

ग) क्रियात्मक शोध तथा प्रयोगीकरण

प्रारंभिक शिक्षा/ प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति जिले की विशिष्ट समस्याओं से निपटना

डाइट को क्रियाशील बनाने के लिए ताकि यह अपने प्रकार्य संपादित कर सके, डाइट को अतिरिक्त भौतिक सुविधाएँ (जैसे भवन आदि), शैक्षिक सामग्री, सहायक सामग्री, उपकरण, अतिरिक्त योग्य अध्यापक–शिक्षक, स्वायत्तता, अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा वित्तीय अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त डाइटों में नई शाखाएँ/विभाग खोले गए हैं, जैसे:

- सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा विभाग
- पाठ्यचर्या, पदार्थ सामग्री निर्माण तथा मूल्यांकन विभाग
- कार्यानुभव शाखा
- जिला संसाधन इकाई : जिसका संबंध प्रौढ़ शिक्षा तथा ग़ैर–औपचारिक शिक्षा से है। इसके अतिरिक्त अन्य विभाग जैसे आयोजन तथा प्रबंधन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, तथा सेवाकालीन कार्यक्रम, क्षेत्र अन्योन्यक्रिया तथा नवाचार, तथा समन्वयन शाखाएँ।

4.5 प्रारंभिक शिक्षा की ब्लॉक (खंड) स्तर पर संगठनात्मक संरचना (बी.आर.सी.)

डाइट्स को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा जिला स्तर पर शैक्षिक क्रियाकलाप की गति को तीव्र करने का दायित्व सौंपा गया है। खंड संसाधन केन्द्रों (Block Resource Centres - BRCs) की स्थापना की गई है जिस का उद्देश्य है अध्यापकों और विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन देना तथा विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता सुधार क्रियाकलाप कार्यान्वित करना है।

एक खंड संसाधन केन्द्र में 100 गाँवों का एक समूह होता है। एक खंड संसाधन केन्द्र के क्रियाकलाप का समन्वयन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करता है जिसे तकनीकी सहायता दूसरे व्यक्ति जैसे डाटा एन्ट्री आपरेटर, कनिष्ठ अभियंता, खंड समन्वयक, संसाधन अध्यापक आदि प्रदान करते हैं।

4.5.1 खंड संसाधन केन्द्र की भूमिका तथा प्रकार्य

खंड संसाधन केन्द्र का संबंध सर्व शिक्षा अभियान के क्रियाकलाप के आयोजन, कार्यान्वयन, तथा मानीटरिंग के साथ अवश्य होना चाहिए। खंड संसाधन केन्द्र अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है, अध्यापन–अधिगम सामग्री का निर्माण करता है, समुदाय को गतिशील बनाता है, क्रियात्मक शोध में सम्मिलित होता है, तथा अध्यापकों व विद्यार्थियों में विभिन्न क्रियाकलाप तथा प्रतियोगिताएँ आयोजित करता है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित कोई भी सूचना खंड

संसाधन केन्द्र प्राप्त करता है तथा तत्पश्चात जिला तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रारंभिक विद्यालयी अध्यापकों सभी प्रकार की शैक्षिक सहायता देने के लिए बी.आर.सी. एक संसाधन केन्द्र का कार्य करता है। खंड संसाधन केन्द्र के प्रकार्य निम्नलिखित हैं:

- प्राथमिक विद्यालय को पर्याप्त स्थान तथा उपकरण प्रदान करना;
- विद्यालयों के भवनों की मरम्मत करवाना और यदि आवश्यकता हो तो विशेष मरम्मत भी करवा सकता है, तथा नए भवनों का निर्माण भी करवा सकता है।
- विद्यालयों का ऐसा पर्यवेक्षण करना जैसे निर्धारित किया गया है।
- अपने क्षेत्र में अनिवार्य उपस्थिति को लागू करने के लिए उत्तरदायी होना।
- जहाँ भी संभव हो बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना
- बच्चों को पोशाक अथवा वर्दी देना
- विद्यालय उत्सवों को मनाना तथा विद्यालय के लिए भ्रमण आदि की तथा अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना
- खंड स्तर पर चलाए जा रहे शिक्षा संबंधी निर्माण कार्यों की प्रगति तथा गुणवत्ता को मॉनीटर करना
- जानकारी (अभिज्ञा) तथा खंड स्तर पर उत्सव (आयोजनों) की व्यवस्था करना।
- अन्य एजेंसियों जैसे ग़ैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.), स्वयंसेवी सहायता समूह (एस.एच.जी.) सरकारी विभाग आदि का सहयोग व समन्वयन प्राप्त करना
- खंड स्तर के अन्य अधिकारियों के साथ नियतकालिक समीक्षा बैठकें संचालित करना ताकि विभिन्न कार्यक्रमों में यदि कोई बाधा या अड़चन आ रही हो उसे दूर करना
- खंड स्तर के बच्चों कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना और प्रबंधन के प्रभाव का आकलन करना।

4.6 कलस्टर (संकुल) स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की संगठनात्मक संरचना (सी.आर.सी.)

कलस्टर (संकुल) आठ से दस विद्यालयों के समूह को कहते हैं जिसमें विभिन्न संस्थाएँ अपने संसाधनों, विशेषज्ञों, सामग्री, अध्यापन–सहायक सामग्री, इत्यादि का आदान–प्रदान कर एक दूसरे प्रबलित करते हैं और उनका उपयोग सांझा रूप में करते हैं। संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRCs) के माध्यम से अध्यापक एक साथ आते हैं अपने विचारों तथा अनुभवों का आदान–प्रदान करते हैं और अपने व्यावसायिक विकास के लिए कार्य करते हैं। संकुल संसाधन केन्द्र से कलस्टर स्तर पर वही क्रियाकलाप किए

जाने की अपेक्षा है जो खंड संसाधन केन्द्र करते हैं। संकुल संसाधन केन्द्र विद्यालय के उस मुख्याध्यापक के प्रति उत्तरदायी है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत शिक्षा अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में संकुल शिक्षा अधिकारी की संज्ञा दी गई है।

4.6.1 संकुल संसाधन केन्द्र की भूमिका

- विद्यालय को चलाने के लिए नियम तथा क्रियाविधि तैयार करना
- विद्यालय निधि का प्रबंधन और बंटन
- नए सिलेबस या पाठ्यचर्या को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था करना
- अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित करना

4.6.2 संकुल संसाधन केन्द्र के प्रकार्य

संकुल संसाधन केन्द्र अध्यापक सशक्तिकरण के रूप में कार्य कर रहा है, जहाँ अध्यापक विद्यालय में उनके द्वारा प्रयुक्त अनुभवों तथा नवाचार पद्धतियों का आदान प्रदान करते हैं। संकुल संसाधन केन्द्र के प्रकार्य निम्न प्रकार हैं:

- विद्यालय समष्टि (school complexes) (समूह) के सभी विद्यालयों का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण
- समष्टि के अंतर्गत अध्यापकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ करना
- वेतन बाँटना
- फर्नीचर वितरित करना
- उपकरण तथा लेखन सामग्री
- समष्टि में छुट्टी पर जाने वाले अध्यापकों की स्थानापन्न व्यवस्था करना
- समष्टि के विद्यालयों के मुख्याध्यापकों की आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत करना
- ऐसी सूचना एकत्रित करना जिसे ऊपर खंड संसाधन केन्द्र, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर भेजा जाना है
- पाठ्यचर्यात्मक सामग्री का विकास करना
- शैक्षिक उत्सवों को मनाना
- अध्यापकों की नियमित बैठकों की व्यवस्था करना
- पाठ्यचर्यात्मक तथा सह–पाठ्यचर्यात्मक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना
- अध्यापन व अधिगम संसाधनों की सुलभता प्रदान करना या सुनिश्चित करना

टिप्पणी

- अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना
- विद्यालयों का पर्यवेक्षण

संकुल संसाधन केन्द्र ग्रामीण अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के एकाकीपन समाप्त कर देते हैं। इनसे विद्यालय अभिशासन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है।

4.7 सारांश

विद्यालय शिक्षा में सामान्य रूप से तथा प्रारंभिक शिक्षा में विशेष रूप से शिक्षा के विभिन्न आयामों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में प्रारंभिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण किया। राष्ट्रीय स्तर पर 1961 में विद्यालयी शिक्षा की सर्वोच्च संस्था एन.सी.ई. आर.टी, की स्थापना की गइ। एन.सी.ई.आर.टी. के विशेष प्रकार्य थे: विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना और विभिन्न शैक्षिक मामलों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को मंत्राणा देना। इस इकाई में एन.सी.ई.आर.टी. की इन भूमिकाओं तथा अन्य प्रकार्यो पर प्रकाश डाला गया है।

राज्य स्तर पर दो मुख्य प्रकार की शैक्षिक संस्थाएं कार्यरत है। जिन का अंतिम लक्ष्य है प्रारंभिक शिक्षा के सार्विकीकराण के उद्देश्यों को प्राप्त करना। ये संस्थाए है एस.सी.ई.आर. टी. तथा एस.आई.ई.एम.टी.। एस.सी.ई.आर.टी के राज्य स्तर पर वही प्रकार्य तथा भूमिकाएं है जो एन.सी.ई.आर.टी. के राष्ट्रीय स्तर पर हैं। एस.सी.ई.आर.टी. के भी विभिन्न विभाग है। वास्तव मे यह राज्य शिक्षा विभाग की शैक्षणिक शाखा है। दूसरी राज्य स्तरीय संस्था राज्य है। शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संस्थान है। इसका मुख्य कार्य शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंधन के साथ जुड़े अधिकारियों में प्रबंधनात्मक कौशलों का विकास करना। इसके अतिरिक्त यह संस्था राज्य स्तर पर नीति आयोजन में सहायता करती है तथा विभिन्न अधि कारियों को व्यावसायिक (सांवृत्तिक) निर्देशन प्रदान करनी है।

इससे आगे, शिक्षा की संगठनात्मक संरचना का विकेंद्रीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया। देश में जिला स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं जिन्हे हम डाइट (जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान) के नाम से जानते है, की स्थापना की गइ। ये संस्थान अध्यापकों को सेवाकाली तथा सेवा पूर्व अध्यापन प्रशिक्षण प्रदान करती है और छोटे स्तर के कुछ शोध कार्य भी करती है जिन का दबाब प्रारंभिक शिक्षा पर होता है, ये पाठ्यचर्या निर्माण तथा शिक्षण सामग्री निर्माण भी करती हैं। इनके पास एक डी.आर.यू. (जिला संसाधन एकक) भी होता है। शैक्षिक विकेद्रीकरण की प्रक्रिया फिर ब्लाक तथा क्लस्टर स्तर पर भी जाती है ब्लाक स्तर पर खंड संसाधन केंद्र तथा कलस्टर स्तर पर कलस्टर संसाधन केंद्र खोले गए है जिनका कार्य प्रारंभिक शिक्षा में अध्यायकों और

विद्यालयों को शैक्षणिक सहायता तथा शैक्षिक मार्गदर्शन करना भी है। जितने सी.आर.सी. है वे अध्यापको के लिए सशक्तिकरण केंद्रो का कार्य कर रहे है, जहां अध्यापक एकत्रित होते है और अपने विचारों, अनुभवों और नवाचारो का आदान प्रदान करते हैं, जिन का प्रयोग वे अपने अपने विद्यालयों में करते है।

4.8 शब्दकोष / संकेताक्षर

एन.सी.ई.आर.टी.	:	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एम.एच.आर.डी.	:	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एस.सी.ई.आर.टी.	:	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एम.एल.एल	:	न्यूनतम अधिगम स्तर
डी.पी.ई.पी.	:	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
टी क्यू एम	:	समग्र गुणवत्ता प्रबंधन
एस.आई.ई.एम.टी.	:	राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
एन.जी.ओ.	:	ग़ैर–सरकारी संगठन
डाइट (डी.आई.ई.टी.)	:	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बी.आर.सी.	:	खंड संसाधन केन्द्र
सी.आर.सी.	:	संकुल संसाधन केन्द्र

4.9 संदर्भ ग्रंथ / कुछ उपयोगी पुस्तकें

- Deshmukh Ashima & Dr. Nair Anju(2010): Educational Management, Himalaya Publishing House, pp 479-492
- Deshmukh V.S. & Patil W.R. (2009), Primary Education: Current Situation, Problems and Solutions. Nirali Prakashan.
- Pandya, S.R. Educational Management
- http://www.dtert.tn.nic.in/Functions%20of%20DIET.html

टिप्पणी

4.10 अन्त्य इकाई अभ्यास

1) एन.सी.ई.आर.टी. के 9 प्रकार्य हैं जो इस बाक्स में छिपे हैं इन प्रकार्यों को मालूम करें।

d	i	s	s	e	m	i	n	a	t	e
c	f	g	r	e	s	e	a	r	c	h
d	t	u	s	e	s	a	r	c	g	h
o	r	i	e	n	t	a	t	i	o	n
d	a	d	d	g	r	e	s	e	r	c
s	i	a	r	d	e	v	o	p	l	g
u	n	n	w	o	r	k	s	h	o	p
r	i	c	q	w	e	t	r	t	i	g
v	n	e	d	e	v	e	l	o	q	e
o	g	s	u	r	v	e	y	s	r	e
i	m	p	l	e	m	e	n	t	s	o
d	e	v	e	l	o	p	m	e	n	t

2) किसी भी डाइट का दौरा कीजिए तथा निम्नलिखित की दृष्टि से इसके प्रकार्यों का अध्ययन करें। इस पर अपनी एक रिपोर्ट भी लिखें:

क) उपलब्ध भौतिक सुविधाएँ

ख) पिछले वर्ष कार्यान्वित, कार्यक्रमों की विविधता तथा व्यापकता की दृष्टि से सेवाकालीन कार्यक्रम

ग) पिछले 2 वर्षों में संपादित प्रशिक्षण क्रियाकलाप तथा इनके दीर्घकालिक प्रभाव

घ) उनके प्रकार्यों को सूचीबद्ध करें।